

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना। आदेश

02 नि./स्था. चालक (प्रो.) (13) - 01/2011

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत सहकारिता विभाग के निदेशालय के अधीन निम्नांकित क्षेत्रीय चालक को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 05.07.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका-5(i) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड पे			अभ्युक्ति
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
	3	4	5	7	8	9	10
1	श्री निर्मोहन मिश्र	02.09.57	04.02.86	X	X	04.02.16 4200/-	
2	श्री सुदामा राय	16.01.64	25.03.86	X	X	25.03.16 4200/-	
3	श्री राजेश कुमार	01.01.78	09.02.07	09.02.17 2000/-	X	X	
4	श्री पंकु कुमार	18.02.82	02.02.07	02.02.17 2000/-	X	X	
5	श्री मनोज कुमार रजक	26.03.80	28.03.07	28.03.17 2000/-	X	X	
6	श्री राजेश राम	06.02.86	06.02.07	06.02.17 2000/-	X	X	


2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 के अनुसार किया जायेगा।

3. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित सभी चालक की सेवा-पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है तथा वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरान्त किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

4. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

5. उपर्युक्त किसी भी कार्मिक के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।

6. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


(विनोद)

सहायक निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

कृ.पू.उ.....

